समक्षः—न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क. /14 निगरानी R-2717 I 14

1. हनीफ मोहम्मद पुत्र रईस खां उम्र 52 वर्ष,
2. शोकीर मोहम्मद पुत्र रसीद मोहम्मद 49 वर्ष,
3. साबिर मोहम्मद पुत्र रसीद मोहम्मद 55 वर्ष,
4. नासीर मोहम्मद पुत्र रसीद मोहम्मद 52 वर्ष,

सभी जातियान मुसलमान सभी निवासीगण ग्राम ढोढर तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

———निगरानीकर्तागण

बनाम

1. हरीमोहन पुत्र सुरजन जाति आदिवासी
2. रामस्वरूप पुत्र मोतीलाल जाति आदिवासी
3. रामजीलाल पुत्र दुर्जन जाति आदिवासी

सभी निवासीगण ग्राम खेरघटा मोजा बगदरी तहसील व जिला श्योपुर म.प्र.

———गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता विरूद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के प्रकरण 61/10—11 गिगरानी में पारित आदेश दिनांक 14.07.2014

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत हैं :—

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन निर्णय विधि एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रकरण के अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी वर्ष 2011 में प्रस्तुत की गई हैं जबकि आवेदकगण के पटटे वर्ष 1988 में प्रकरण क. 253/85—86अ—19 में पारित आदेश दिनांक 29.02.1988 से पारित पटटे थे जिसके सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान के आवेदन का कोई निर्णय किये बिना ही प्रश्नाधीन आदेश पारित कर दिया इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन निर्णय निरस्त होने योग्य है।

क्रमशः—2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2717–एक/2014 जिला –श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.2.19	आवेदक के अधिवक्ता श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि इस न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 61/निगरानी/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 14/07/14 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में वर्ष 2018 में किये गये संशोधन प्रभावी दिनांक 25.9.18 के अनुसार संहिता की धारा 50 (2) इस प्रकार है:– धारा–50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन– (ख) इस संहिता के अधीन प्रथम निगरानी में पारित किसी अंतिम आदेश के विरूद्व ग्रहण नहीं किया जावेगा। 3–परिणामस्वरूप इस न्यायालय में संचालित नही होने के कारण प्रकरण अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में स्थानातंरण किया जाता है तथा पक्षकार दिनांक 15/04/19 को उपस्थित हों। सदस्य पेशी दिनांक 15/4/19 अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना	